ई-1988375

संख्या-10/2025/803/52-1-2025

प्रेषक,

अरविन्द कुमार गिरि,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2025

विषय– एस०एन०ए० स्पर्श के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मदर सेक्शन (Mother Sanction) के रूप में निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य सहायता की राशि अर्थात राज्यांश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-2870/अ0सं0क0 नि0/पी0एम0जे0वी0के0/एस0एन0ए0-स्पर्श(657148)/2025 दिनांक 11.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की धनराशि को एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के तहत जारी कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र

shasanadesh.up.gov.in

सं०-21/19/2025-एम०एस०डी०पी०-मोमा० दिनांक 24.10.2025 द्वारा **अवमुक्त केन्द्रांश रू० 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू० 333.00 लाख (रूपये तीन करोड़ तैतीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 833.00 लाख (रूपये आठ करोड़ तैतीस लाख मात्र)** को एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक/मदों/परियोजनाओं में उपलब्ध बजट के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार निर्गत किया जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधानित धनराशि		निर्गत वित्तीय स्वीकृति		निर्गत हेतु अवशेष धनराशि		भारत सरकार द्वारा निर्गत मदर सेक्शन के सापेक्ष प्रस्तावित मांग केन्द्रांश/राज्यांश		योग
			के०	रा०	के०	रा०	के०	रा०	के०	रा०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	4235-02-800-01-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो की स्थापना (के0-60/रा0-40- के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	507.60	338.40	-	-	507.60	338.40	500.00	333.00	833.00

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. प्रश्नगत स्वीकृति केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4. बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की

shasanadesh.up.gov.in

उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

9. भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

11. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

12. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

13. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी/शासन द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

14. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

shasanadesh.up.gov.in

15. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व में केन्द्रांश की प्रत्याशा में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु निर्गत राज्यांश की धनराशि का समायोजन किया जाना निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

17. SNA-SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित वित्त विभाग के पत्र दिनांक 26.09.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं अन्य सम्बन्धित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-108-X-2025-26 दिनांक 19.11.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार गिरि)

अनु सचिव।

संख्या-803/52-1-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

shasanadesh.up.gov.in

5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गिरि)

अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in